

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1651/2009/जयपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी

प्रतिकरापवंचन, घट-द्वितीय, वृत-द्वितीय, राजस्थान, जयपुर
बनाम

अपीलार्थी

मैसर्स सवानी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड
दिल्ली हाल जयपुर

प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री सुनील शर्मा, सदस्य

उपस्थित

श्री एन.के.बैद

उप राजकीय अभिभाषक

श्री आर.सी.शाह

सी.ए.

निर्णय दिनांक: 17-12-2014

अपीलार्थी की ओर से


प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय

यह अपील सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, घट-द्वितीय, वृत-द्वितीय, राजस्थान, जयपुर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) ने उपायुक्त (अपील्स) प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 189/आरएसटी/एनआरडी/1129/अपी-11/90-00/अपील-1/05-06 में पारित आदेश दिनांक 25.05.2009 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 18.09.1999 को जयपुर में वाहन संख्या एच आर-38/बीजी-5947 को चेक किया गया। वक्त चेकिंग वाहन में लदे माल से सम्बन्धित दस्तावेज मांगने पर वाहन चालक द्वारा प्रस्तुत बिल एवं बिल्टियों पर सन्देह होने के कारण वाहन को नियमानुसार निरुद्ध किया जाकर वास्ते सत्यापन नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में माल का सत्यापन नहीं कराये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी ने माना कि वाहन में लदा माल फर्जी दस्तावेजों के द्वारा परिवहनित किया जा रहा है, इसलिए राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 78(5) के अन्तर्गत शास्ति रू. 1,44,243/- आरोपित करते हुए कर रू. 14576/- एवं सरचार्ज रू. 1749/- अधिरोपित किया गया। उक्त आरोपित कर, अधिभार एवं शास्ति के विरुद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, उन्होंने आरोपित कर, अधिभार एवं शास्ति को अपास्त कर दिया। अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश से असन्तुष्ट होकर यह अपील कर निर्धारण अधिकारी की ओर से प्रस्तुत की गई है।

राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि वक्त चेकिंग वाहन संख्या एच आर-38/बीजी-5947 को चेक किया गया। वक्त चेकिंग



वाहन में लदे माल से सम्बन्धित दस्तावेज मांगने पर वाहन चालक द्वारा प्रस्तुत बिल एवं बिल्टियों पर सन्देह होने के कारण वाहन को नियमानुसार निरुद्ध किया जाकर वास्ते सत्यापन नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में वाहन में लदे माल का भौतिक सत्यापन नहीं कराये के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वक्त चेंकिंग वाहन चालक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को मिथ्या एवं फर्जी मानते हुए कर, अधिभार एवं अधिनियम की धारा 78 (5) के अन्तर्गत शास्ति आरोपित की है। उनका कथन है कि प्रकरण की स्थिति एवं तथ्यों के आधार पर ही उक्त कार्यवाही कर निर्धारण अधिकारी द्वारा की गई है। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण के तथ्यों पर विचार करने के पश्चात स्पीकिंग आदेश पारित करना चाहिए था, जो उनके द्वारा नहीं किया गया है। उनका कथन है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किया गया था, जिसकी पालना में प्रस्तुत जवाब फैसला दिनांक 26.09.09 के बजाय आजही करने का निवेदन किया गया है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त कर प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही सम्पादित की है, जो उचित है। उन्होंने अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त कर प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया जॉच अधिकारी द्वारा प्रकरण में मौजूद तथ्यों एवं प्रमाणों के विपरीत जाकर बिना किसी ठोस एवम् उचित आधार के, बिना किसी विस्तृत जॉच के प्रत्यर्थी को बिना सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये, कर व शास्ति आरोपण की कार्यवाही की गई है, जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत है। उनका कथन है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा लिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसमें बताया गया था कि वाहन में परिवहनित माल राज्य के बाहर से राज्य के बाहर दिल्ली से गांधीनगर व कोठपुर के लिए परिवहनित किया जा रहा था, जिस पर राज्य के अधिकारियों का कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में उन्होंने अपने कथन के समर्थन में 108 एस टी सी 490 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम सोढी ट्रोसपोर्ट कम्पनी को उद्धृत किया। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह कहीं भी प्रमाणित नहीं किया गया है कि माल को राज्य में कहीं उतारा अथवा बेचा जायेगा, इस कारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर, सरचार्ज एवं शास्ति अविधिक है। उन्होंने उक्त कथन के आधार अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड एवं अपीलीय अधिकारी के आदेश का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यानुसार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा



दिनांक 18.09.1999 को जयपुर में वाहन संख्या एच आर-38/बीजी-5947 को चेक किया गया। वक्त चेकिंग वाहन में लदे माल से सम्बन्धित दस्तावेज मांगने पर वाहन चालक द्वारा प्रस्तुत बिल एवं बिल्टियों पर सन्देह होने के कारण वाहन को नियमानुसार निरूद्ध किया जाकर वास्ते सत्यापन नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में माल का सत्यापन नहीं कराये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी ने माना कि वाहन में लदा माल फर्जी दस्तावेजों के द्वारा परिवहनित किया जा रहा है, इसलिए अधिनियम की धारा 78(5) के अन्तर्गत शास्ति रु. 1,44,243/-आरोपित करते हुए कर रु. 14576/-एवं सरचार्ज रु. 1749/-अधिरोपित किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर,अधिभार एवं शास्ति आरोपित करने से पूर्व उनके समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच नहीं की गई है और बिना जांच के दस्तावेज को मिथ्या अथवा फर्जी घोषित करना उचित नहीं है। इसके अतिरिक्त नोटिस के जवाब में कर निर्धारण अधिकारी को बताया गया है कि वाहन में परिवहनित माल राज्य के बाहर से राज्य के बाहर दिल्ली से गांधीनगर व कोठपुर के लिए परिवहनित किया जा रहा है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन यह भी से ज्ञात होता है कि दस्तावेजों में माल प्रेषक एवं प्रेषिति के नाम पते तथा पंजीयन क्रमांक उपलब्ध थे और यदि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा माल प्रेषक एवं प्रेषिति की विधिवत् जांच की गई होती तो समस्त वस्तुस्थिति स्पष्ट हो जाती है,जो कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नहीं की गई है, क्योंकि पत्रावली पर ऐसी कोई जांच रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि वक्त जांच पाया गया माल राज्य बाहर दिल्ली से राज्य बाहर गुजरात के लिए परिवहनित किया जा रहा था, इस तथ्य का खुलासा नोटिस के जवाब के साथ प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों से होता है। विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में उपलब्ध दस्तावेजों एवं उनके समक्ष प्रस्तुत की गई बहस पर समग्र रूप से विवेचन के पश्चात परिवहनित माल राज्य बाहर से राज्य बाहर के लिए परिवहनित किया मानते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 78 (5) के अन्तर्गत आरोपित, कर एवं अधिभार को अपास्त किया है। प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा मैसर्स सोढी ट्रांसपोर्ट कम्पनी 108 एस टी सी 490 का न्यायिक दृष्टान्त उद्धृत किया,जिस पर विचार किया जाना समीचीन होगा। उक्त निर्णय का सारगर्भित अंश निम्नानुसार है :-

"The consignor is said to have been as dealer not registered with the sales tax authorities in Delhi. This by itself neither established that the consignor-firm was bogus and nor can it be presumed therefrom that the goods were intended for sale in Rajasthan without payment of tax under RST Act...."



प्रकरण के उक्त तथ्यों के सांगोपाङ्ग विश्लेषण से स्पष्ट है कि माल का परिवहन राज्य के बाहर से राज्य के बाहर के लिए किया जा रहा था, जिससे राजस्थान राज्य को किसी प्रकार की राजस्व की हानि होना कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सिद्ध नहीं किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी को चाहिए था कि यदि उन्हें प्रस्तुत दस्तावेजों पर सन्देह था तो उनकी सारगर्भित जांच कर, पर्याप्त कारणों, विपरीत साक्ष्य और तथ्यों को एकत्र करने के पश्चात कर, अधिभार एवं शास्ति आरोपण की कार्यवाही करते, जिससे उनकी कार्यवाही को विधि का बल प्राप्त होता। परन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने बिना किसी जांच के माल का परिवहन करापवंचन की मानसिकता से किया जाना मानकर, कर, अधिभार एवं शास्ति आरोपण की कार्यवाही की है, जो कि विधिक दृष्टि से प्रतिकूल है।

प्रकरण के उपरोक्त विवेचित तथ्यों के आधार पर अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 25.05.2009 को यथावत रखते हुए राजस्व की ओर से प्रस्तुत की गई अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया ।



(सुनील शर्मा)
सदस्य